सूचना बुलेटिन

जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) तथा लेक्चरशिप (एलएस) हेतु संयुक्त

सीएसआईआर-यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट

16 जून, 2019

परीक्षा एकक

मानव संसाधन विकास समूह

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स

(इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के सामने)

लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा

नई दिल्ली-110012

पैरा सं.	विवरण		पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना		
1.	सीएसआईआर-यूजीसी फेलोशिप के बारे में		3-4
	1.1	जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्टाइपेंड	4-5
	1.2	संपर्क विवरण	5
2.	परीक्षा		5
3.	अभ्यर्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विकल्प		6
4.	परीक्षा के विषय		6
5.	आवश्यक शैक्षिक योग्यता		6-7
6.	अधिकतम आयु सीमा		8
7.	परीक्षा की तारीख एवं स्कीम		8-10
8.	परीक्षा का पाठ्यक्रम		10-11
9.	परीक्षा केन्द्र		11
10.	परीक्षा शुल्क		12
	10.1	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)	12
	10.2	शुल्क रियायत	12-13
11.	दिव्यांग जनों(पी.डब्ल्यू.डी.) हेतु प्रावधान		13-14
12.	ऑन-लाइन आवेदन कैसे करें		15
	12.1	विकल्प	15-16
	12.2	संपादन हेतु पूर्वावलोकन (प्रीव्यू टू एडिट)	16-17
	12.3	ऑन-लाइन आवेदन करते समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज	17-18
	12.4	आवेदन संख्या	18-19
13.	परिणाम		19-20
14.	महत्वपूर्ण बिंदु		20-21
15.	अन्य सामान्य सूचना		21-23
परिशिष्ट			
परिशिष्ट-I	अ.पि.व.(ओ.बी.सी.) प्रमाण पत्र का फॉर्मेट		26-27
परिशिष्ट-II	अ.जा.(एस.सी.)/अ.ज.जा.(एस.टी.) प्रमाण पत्र का फॉर्मेट		28-29
परिशिष्ट-III	दिव्यांगता (पी.डब्ल्यू.डी.) प्रमाण पत्र का फॉर्म		31
परिशिष्ट-III क	परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण -पत्र		32
परिशिष्ट-III ख	स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र		33
परिशिष्ट-IV	परिणाम प्रतीक्षित(आरए) अभ्यर्थियों हेतुअनुप्रमाणन फॉर्मेट		34
परिशिष्ट-V	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) हेतु आय परिसंपत्ति प्रमाणपत्र		35
परिशिष्ट-VI	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) हेतु शपथ पत्र		36
परिशिष्ट-VII	केन्द्रबदलने संबंधी अनुरोध फार्म		37
परिशिष्ट-VIII	फार्म भरने हेतु संकेत		38-41

प्रस्तावना

1. सीएसआईआर–यूजीसी फेलोशिप के बारे में

अखिल भारतीय आधार पर जेआरए/नेट के लिए आनलाइन आवेदन, प्रेस अधिसूचना के माध्यम से वर्ष में दो बार आमंत्रित किए जाते हैं। यह अधिसूचना एचआरडीजी की वेबसाइट (www.csirhrdg.res.in) पर उपलब्ध भी कराई जाती है।

सीएसआईआर और यूजीसी प्रतिभाशाली युवा पुरुषों और महिलाओं को विश्वविद्यालय विभाग/राष्ट्रीय प्रयोगशाओं एवं विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के संस्थानों में कार्यरत संकाय सदस्यों/वैज्ञानिकों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में अनुसंधान विधियों में प्रशिक्षणार्थ रिसर्च फैलोशिप उपलब्ध कराते हैं। केवल वास्तविक भारतीय नागरिक इस परीक्षा के लिए पात्र हैं।

सीएसआईआर/यूजीसी की फेलोशिपें सीएसआईआर, मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, सरकारी या निजी क्षेत्र की औद्योगिक फर्मों एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के साथ–साथ विश्वविद्यालयों/आईआईटी/स्नातकोत्तर कालेजों/सरकारी अनुसंधान प्रतिष्ठानों में मान्य हैं।

सीएसआआईआर/यूजीसी फेलोशिप भारत में मान्य है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास पर लक्षित है।

सीएसआईआर द्वारा बीएस–4 वर्षीय कार्यक्रम/बीई/बी.टेक/बी.फार्मा/एमबीबीएस/इन्टीग्रेटेड बीएस–एमएस/एम.एससी. धारक अभ्यर्थियों या समकक्ष डिग्री/बी.एस.सी. (ऑनर्स) या समकक्ष डिग्री धारकों अथवा इन्टीग्रेटेड एमएस–पीएच.डी. प्रोग्राम में नामित छात्रों, जिनका अंकों का प्रतिशत सामान्य तथा अ.पि.व. (ओ.बी.सी.) हेतु न्यूनतम 55 प्रतिशत (अ.जा.(एस.सी.)/अ.ज.जा.(एस.टी.) अभ्यर्थियों तथा दिव्यांग जनों(पी.डब्ल्यू.डी.) के लिए 50 प्रतिशत) हो, के लिए वर्ष में दो बार अर्थात जून तथा दिसंबर में आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बड़ी सख्या में जेआरएफ प्रदान की जाती है।

इस परीक्षा से भारतीय विश्वविद्यालय/कॉलेजों में लेक्चरशिप के पदों हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता (अर्थात यह मात्र पात्रता मानदंड है) निर्धारित होती है। जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी, लेक्चरशिप के लिए भी पात्र हैं बशर्ते

वे यूजीसी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हों । कुछ अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर केवल लेक्चरशिप की पात्रता हेतु सफल घोषित किया जाता है।

सीएसआईआर/यूजीसी फेलोशिप निर्धारित अवधि हेतु प्रदान की जाती है और इसका अर्थ यह नहीं है कि सीएसआईआर/यूजीसी लाभार्थी को बाद में रोजगार देगा।

1.1 जूनियर रिसर्च फेलोशिप स्टाइपंड

सीएसआईआर–यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के माध्यम से चयनित जेआरएफ का स्टाइपंड पहले दो वर्षों के लिए रु. 25,000/– प्रतिमाह (संशोधनाधीन) होगा । इसके अतिरिक्त, रु. 20,000/– प्रति फेलो का वार्षिक आकस्मिक अनुदान विश्वविद्यालय/संस्थान को प्रदान किया जाएगा । यह फेलोशिप सीएसआईआर, यूजीसी या रिसर्च स्कीम, जो भी लागू हो, की निबंधन एवं शर्तों के अधीन होगी।

जेआरएफ के रूप में दो वर्ष पूरे होने पर और यदि फेलो पीएच.डी.के लिए पंजीकृत है तो यह फेलोशिप एसआरएफ (नेट) में अपग्रेड की जाएगी और इस स्टाइपंड को गाइड, विभागाध्यक्ष, तथा विश्वविद्यालय/संस्थान के बाह्य सदस्य, जो संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ हों और जो प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक से नीचे न हों, से बनी विशेषज्ञ समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से फेलो की अनुसंधान प्रगति/उपलब्धियों के मूल्यांकन के आधार पर तीसरे और अनुवर्ती वर्षों के लिए रु. 28,000/– प्रतिमाह (संशोधनाधीन) बढ़ा दिया जाएगा । यह बाह्य सदस्य यथासंभव तीन सदस्यीय समिति का अध्यक्ष होना चाहिए । जहां गाइड विभागाध्यक्ष होता है, वहां डीन, विज्ञान संकाय या विभाग के किसी वरिष्ठ सदस्य को समिति के तीसरे सदस्य के रूप में संबद्ध किया जा सकता है । समिति द्वारा अपग्रेडेशन की सिफारिश न करने या फेलो के पीएच.डी.में पंजीकृत न होने के मामले में अभ्यर्थी तीसरे वर्ष में रु. 25,000/– के स्टाइपंड पर जेआरएफ ही रहेगा या उसकी फेलोशिप समिति की सिफारिश पर या इस संबंध में सीएसआईआर के निर्णय पर खत्म की जा सकती है । जेआरएफ के अनुसंधान कार्य की प्रगति को विधिवत रूप से गठित समिति द्वारा तीसरे वर्ष की समाप्ति पर इस तरह के अपग्रेडेशन के लिए मूल्यांकित किया जाएगा।

प्रत्येक विषय हेतु फेलोशिप की संख्या सीमित है।

अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी हमारी वैबसाइट http:www.csirhrdg.res.in पर उपलब्ध सीएसआईआर रिसर्च फैलोशिप हेतु निबंधन एवं शर्तों को देख सकते हैं।

1.2 संपर्क विवरण

सीएसआईआर स्कीम के अंतर्गत फैलोशिप

उपसचिव/अवरसचिव (ईएमआर), सीएसआईआर–एचआरडीजी, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स (इस्टिटच्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट के सामने), लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली–110012

यूजीसी स्कीमों के अंतर्गत फेलोशिप्स:

अवर सचिव, चयन और पुरस्कार ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, बेनितो जुआरेज मार्ग, धौला कुआं, नई दिल्ली –110021

लेक्चरशिप की पात्रता हेतु:

शिक्षा अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, बेनितो जुआरेज मार्ग, धौला कुआं, नई दिल्ली –110021

2. <u>परीक्षा</u>

सीएसआईआर ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अधीन आने वाले निश्चित विषय क्षेत्रों में प्रवक्ताओं (लेक्चररों), (एलएस) की नियुक्ति हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स (जेआरएफ) प्रदान करने हेतु **भारतीय नागरिकों** की पात्रता निर्धारित करने के लिए संयुक्त सीएसआईआर–यूजीसी परीक्षा अनंतिम तौर पर रविवार दिनांक **16 जून, 2019** को तय की है। सफल पात्र अभ्यर्थियों हेतु जूनियर रिसर्च फेलोशिप देना विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय प्रयोगशाला/उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान से संबंधित संस्थान, जो भी लागू हो, में उनके प्रवेश/स्थानन पर निर्भर होगा।

3. अभ्यर्थियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विकल्प

अभ्यर्थी **'जूनियर रिसर्च फैलोशिप (जेआरएफ)'** अथवा **'लेक्चरशिप(एलएस)'** के लिए आवेदन कर सकता है। वह ऑनलाइन आवेदन में अपनी प्राथमिकता, जो भी हो, इंगित कर सकता/सकती है। यदि अभ्यर्थी **जेआरएफ** के लिए आवेदन करता है और लेक्चरशिप हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड को भी पूरा करता है तो इस तरह के अभ्यर्थी पर जेआरएफ तथा लेक्चरशिप दोनों हेतु विचार किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन फार्म में दिया गया विकल्प/वरीयता अंतिम होगी तथा बाद में किसी स्थिति परिवर्तन हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, उपलब्ध फैलोशिपों की संख्या तथा परीक्षा में प्रदर्शन पर निर्भर होगी, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करते हों। यदि अभ्यर्थी की आयु जेआरएफ(नेट) हेतु अधिक पायी जाती है तो वह स्वत: ही केवल लेक्चरशिप हेतु विचारणीय है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता एम.एससी. या एम.एससी. परिणाम प्रतीक्षित (आरए) है, लेक्चरशिप हेतु पात्र होंगे बशर्ते वे यूजीसी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करते हो।

4. परीक्षा के विषय

यह परीक्षा निम्नांकित विषयों में आयोजित होगी:

(i) रसायन विज्ञान
(ii) पृथ्वी,वायुमंडल, महासागर एवं ग्रहीय विज्ञान
(iii) जीव विज्ञान
(iv) गणित विज्ञान
(v) भौतिक विज्ञान

5. आवश्यक शैक्षिक योग्यता

सामान्य (यूआर) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55% अंकों तथा अ.जा.(एस.सी.)/अ.ज.जा.(एस.टी.), दिव्यांग (पी.डब्ल्यू.डी.) अभ्यर्थियों के लिए 50% अंकों सहित एम.एससी. या समकक्ष डिग्री/इन्टीग्रेटेड बीएस-एमएस/बीएस-4 वर्ष/बीई/बी.टेक/बीफार्मा/एमबीबीएस।

ऐसे अभ्यर्थी जो एम.एसएसी. में नामांकित हैं या ऑनलाइन आवेदन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक उक्त अर्हक परीक्षा के 10+2+3 वर्ष पूरे कर चुके हैं; भी परिणाम प्रतिक्षित(आरए) श्रेणी के तहत उक्त विषयों में इस शर्त पर आवेदन करने के पात्र हैं कि वे इस फैलोशिप का लाभ लेने के लिए दो वर्षों की वैध अवधि में अर्हता डिग्री अपेक्षित अंक प्रतिशत अंक के साथ पूरा करते हों।

ऐसे अभ्यर्थियों को उसी विभाग/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित साक्ष्यांकन फार्म प्रस्तुत करना होगा जहां से अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहा है या बैठा है।

सामान्य (यूआर) तथा अ.पि.व. (ओ.बी.सी.) अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55%; अ.जा. (एस.सी.)/अ.ज.जा. (एस.टी.), दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50% अंको के साथ बी.एससी. (ऑनर्स) या समकक्ष डिग्रीधारी या इंटीग्रेटेड एमएस–पीएच.डी.कार्यक्रम में नामांकित छात्र भी आवेदन करने के पात्र हैं। स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थी दो वर्षों की वैधता अवधि पी.एच.डी./इन्टीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में पंजीकृत/नामांकित होने के बाद ही सीएसआईआर फेलोशिप के पात्र होंगे।

केवल स्नातक डिग्री वाले अभ्यर्थी सिर्फ जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, तथा लेक्चरशिप (एलएस) के लिए नहीं।

यूजीसी द्वारा अपने दिनांक 5 जुलाई 2014 के राजपत्र अधिसूचना सं एफ.5-1/2013 (सीपीपी-II) में यथा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित डिग्री (स्नातक या स्नात्कोतर) विनिर्देश लागू होंगे।

नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लेक्चरशिप हेतु पात्रता यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंड पूरा करने के अधीन होगी। ऐसे पीएच.डी.डिग्रीधारी, जिन्होंने मास्टर डिग्री 19 सितंबर, 1991 से पहले कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, केवल लेक्चरशिप हेतु पात्र हैं।

6. अधिकतम आयु सीमा

जेआरएफ(नेट)के लिए: दिनांक 01.01.2019 को अधिकतम 28 वर्ष

अ.जा.(एस.सी.)/अ.ज.जा(एस.टी.)/दिव्यांगजनों(पी.डब्ल्यू.डी.)/महिला आवेदकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट और अ.पि.व. (ओ.बी.सी.) गैर समुन्नत वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) आवेदकों के मामले में 03 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

लेक्चरशिप (नेट) के लिए : कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं।

7. परीक्षा की तारीख एवं स्कीम

बहु विकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) आधारित एकल परीक्षा अनंतिम रूप से रविवार, 16 जून, 2019 को इस प्रकार होगी :

सत्र	विषय	समय	अंक	अवधि
प्रात: कालीन सत्र	i. जीव विज्ञान ii. भौतिक विज्ञान	प्रात: 9:00- दोपहर 12:00 बजे	200	3 घन्टे
अपराह्न सत्र	i. रसायन विज्ञान	दोपहर		

	ii. गणित विज्ञान iii. पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर एवं ग्रहीय विज्ञान	2:00 बजे–शाम 5 बजे		

7.1 इस परीक्षा की विषयवार सूची, दिनांक तथा समय को सीएसआईआर के विवेकानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर-पुस्तिकाओं पर मुद्रित अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें और साथ ही उक्त ओएमआर उत्तर-पुस्तिकाओं में अपेक्षित विवरणों को ठीक से भरें, यह उत्तर-पुस्तिकाएं परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व वितरित की जाएंगी। प्रश्न पुस्तिका परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 5 मिनट पूर्व वितरित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र छोड़ते समय अपनी ओएमआर उत्तर-पुस्तिका की अनुप्रति साथ ले जाने की अनुमति है। प्रत्येक भाग एवं खंड में पूछे तथा हल किए जाने वाले प्रश्नों की संख्या विषय वार भिन्न हो सकती है।

7.2 अभ्यर्थियों को परीक्षा आरंभ होने से 3 घन्टे पूरे होने से पहले (प्रात: कालीन सत्र में दोपहर 12:00 बजे से पहले/अपराह्न सत्र में 5:00 बजे से पहले नहीं) परीक्षा हाल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा का निर्धारित समय पूरा होने पर अपनी प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

7.3 अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पुस्तिका/प्रश्न पुस्तिका में अपने विवरण भरने के लिए केवल काले बॉल प्वांइट पेन का उपयोग करें तथा साथ ही अपनी अपनी ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं में अपने उत्तरों को इंगित करने के लिए उपयुक्त गोले को काला करें। अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में अपने उत्तर बदलने के लिए, मिटाने, स्क्रैच करने या व्हाइटनर फ्लूइड/रबड़ का उपयोग करने की अनुमति नहीं है क्योंकि ओएमआर उत्तर पुस्तिका की मूल्यांकन प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है और इससे गलत मूल्यांकन हो सकता है। उत्तर इंगित करने की 'सही विधि' के अलावा कोई और तरीका अपनाने पर भी गलत मूल्यांकन हो सकता है।

7.4 इस परीक्षा हेतु परीक्षा प्रश्न पुस्तिका हिंदी तथा अंग्रेजी में मुद्रित होगी। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन फार्म में हिंदी माध्यम चुना है उन्हें द्विभाषी परीक्षा प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी तथा अंग्रेजी माध्यम चुनने वाले

अभ्यर्थियों को केवल अंग्रेजी में मुद्रित परीक्षा प्रश्न-पुस्तिका दी जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन फार्म में चुने गए विकल्प के अनुसार उसी *माध्यम* में उत्तर देना अपेक्षित है।

8. परीक्षा का पाठ्यक्रम

यह परीक्षा प्रश्न पुस्तिका परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं स्कीम के अनुसार तीन भागों (क, ख तथा ग) में होगी।

भाग 'क' सभी विषयों में समान होगा। इस भाग में लॉजिकल रीजनिंग, चित्रात्मक विश्लेषण, विश्लेषणात्मक तथा संख्यात्मक योग्यता, मात्रात्मक तुलना, श्रंखला निर्माण, पजल्स इत्यादि पर विशेष बल देने के साथ-साथ सामान्य अभिक्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे।

खंड 'ख' में पाठ्यक्रम में सामान्य रूप से पाठ्यक्रम में दिए गए विषयों को समाहित करने वाले विषय संबंधी परंपरागत बहु विकल्पी प्रश्न (एमसीक्यू) होंगे।

खंड 'ग' में अधिक अंक वाले प्रश्न होंगे जिनसे अभ्यर्थियों की वैज्ञानिक संकल्पनाओं और/या वैज्ञानिक संकल्पनाओं के अनुप्रयोग के ज्ञान को परखा जा सकता है। ये प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रकृति के होंगे क्योंकि यहां अभ्यर्थी से उम्मीद की जाती है कि दी गई वैज्ञानिक समस्या का समाधान खोजने के लिए वह वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करे।

एकल बहु विकल्पी प्रश्न पत्र (एमसीक्यू) परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा स्कीम सीएसआईआर-एचआरडीजी की वेबसाइट: www.csirhrdg.res.in. पर देखे जा सकते हैं।

नोट: रसायन विज्ञान की परीक्षा योजना जून, 2017 के सीएसआईआर-यूजीसी (नेट) परीक्षा से संशोधित की गई है। संशोधित परीक्षा योजना तथा मॉडल प्रश्न पत्र सीएसआईआर-एचआरडीजी की वेबसाइट www.csirhrdg.res.in पर देखे जा सकते हैं।

8.1 गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक, जहां कहीं भी आवश्यक हो, परीक्षा की विषयवार स्कीम के अनुसार लागू होंगे।

8.2 यदि कोई प्रश्न किसी कारणवश गलत पाया गया तो उसके अंकों का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिन्होंने इस प्रश्न को हल किया है। विषय विशेषज्ञों द्वारा अभ्यावेदनों की जांच करने पर

यदि यह पाया जाता है कि मूल उत्तर कुंजी के साथ एक और विकल्प सही है, तो सही विकल्पों में से एक विकल्प चुनने वाले सभी अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किए जाएंगे।

8.3 परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर कुंजी के संबध में किसी शिकायत/अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. परीक्षा केंद्र

यह परीक्षा पूरे भारत में निम्नलिखित केंद्र कोड सहित यथा विनिर्दिष्ट 27 केन्द्रों पर आयोजित होगी:

बेंगलूरु (1)	दिल्ली (8)	जोरहाट (15)	रायपुर (22)
भावनगर (2)	गुंटूर (9)	कारैकुडी (16)	रुड़की (23)
भोपाल (3)	गोहाटी (10)	कोलकाता (17)	श्रीनगर (24)
भुवनेश्वर (4)	हैदराबाद (11)	लखनऊ (18)	तिरूवनंतपुरम (25)
चंडीगढ़ (5)	इम्फाल (12)	नागपुर (19)	उदयपुर (26)
चेन्नै (6)	जम्मू (13)	पिलानी (20)	वाराणसी (27)
कोचीन (7)	जमशेदपुर (14)	पुणे (21)	

9.1 अभ्यर्थी उक्त केन्द्रों में से कोई केन्द्र चुन सकता है। केन्द्र परिवर्तन हेतु किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, केंद्र परिवर्तन हेतु अनुरोध पर योग्यता आधार पर विचार किया जा सकता है बशर्ते यह अनुरोध निर्धारित फार्मेट(परिशिष्ट–VII) में दिनांक **30.04.2019** तक ई–मेल के माध्यम से examunit@csirhrdg.res.in पर परीक्षा एकक में प्राप्त हो। इस उद्देश्य के लिए अभ्यर्थी केवल उसी ई–मेल आईडी का उपयोग करें जिसे उसने अपने ऑन लाइन आवेदन में पंजीकृत किया है। यदि किसी विशेष केन्द्र पर अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या न हो अथवा किसी प्रशासनिक कारण से उस केन्द्र को उक्त सूची से हटाया जा सकता है। निरस्त केंद्र को चुनने वाले संबंधित अभ्यर्थियों को सीएसआईआर के विवेकानुसार उनके निवास स्थान के सबसे नजदीक का कोई अन्य केन्द्र आबंटित किया जाएगा। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी अभ्यर्थी को कोई टीए/डीए देय नहीं होगा।

10. परीक्षा शुल्क

इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी पात्रता सत्यापित करने के बाद अपना परीक्षा शुल्क केवल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करने के लिए पेमेंट गेटवे सुविधा का उपयोग करें। अभ्यर्थियों को पेमेंट गेटवे सुविधा का उपयोग करने के लिए कोई लेन-देन (ट्रैन्जैक्शन) प्रभार देना आवश्यक नहीं है।

क्र.सं.	श्रेणी	शुल्क
1.	सामान्य	रु.1000/-
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) - नॉन क्रीमी लेयर	रु.500/-
3.	अ.जा. (एस.सी.)/अ.ज.जा.(एस.टी.)/दिव्यांग	रु.250/-

महत्वपूर्ण: कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करने हेतु सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वर्जन TLS 1.1 / TLS 1.2 को समर्थित करने वाले नवीनतम ब्राउसर का ही उपयोग करें।

10.1 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)

अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनकी जाति केन्द्रीय सूची (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध) में नहीं है और ऐसे अभ्यर्थी जो अ.पि.व. (ओ.बी.सी.) क्रीमी लेयर के हैं, को सभी उद्देश्यार्थ सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा। **तदनुसार, ऐसे अ.पि.व. (ओ.बी.सी.) अभ्यर्थी अपनी श्रेणी 'सामान्य' के रूप में इंगित करें।**

10.2 शुल्क में छूट

अभ्यर्थी अपने दावे के साक्ष्य के रूप में अपनी श्रेणी के प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति अपलोड करें। अ.जा.(एस.सी.)/अ.ज.जा.(एस.टी.)/अ.पि.व.(ओ.बी.सी.)/(एनसीएल)/दिव्यांग(पी.डब्ल्यू.डी.) (40% या इससे अधिक की नि:शक्तता) का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फार्मेट में वैध प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति (अपलोड की जाने वाली) के बिना शुल्क, आयु और/अथवा शैक्षिक योग्यता में कोई

रियायत/छूट हेतु दावों/अनुरोधों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा । भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार गैर समुन्नत वर्ग (नान क्रीमी लेयर) (एनसीएल) के प्रावधान में न आने वाले अभ्यर्थी आयु, शुल्क इत्यादि में छूट का लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे ।

अभ्यर्थी नोट करें कि अ.पि.व.(ओ.बी.सी.) श्रेणी का लाभ लेने के लिए सीएसआईआर केवल भारत सरकार की सूची को मानता है, राज्य सरकार की सूचियों को नहीं । ऐसे ही दिव्यांग (पी.डब्ल्यू.डी) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी नोट करें कि इस संबंध में भारत सरकार के नियम लागू होंगे, अन्यथा वे किसी छूट के लिए पात्र नहीं होंगे ।

11. 40% या अधिक नि:शक्तता वाले दिव्यांग जनोंहेतु प्रावधान

(i) ऊपरी अंगों में अधिक नि:शक्तता, दृष्टि बाधिता, कम दृष्टि, मानसिक पक्षाघात वाले ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक सीमाओं के चलते गति से लिख नहीं सकते, यदि अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब की आवश्यकता दर्शाते हैं और मेल के माध्यम से अनुरोध करते हैं तो उन्हें स्क्राइब की सेवाए उपलब्ध कराई जाएगी ।

(ii) यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में ऐसा अनुरोध किया गया है तो दृष्टिबाधिता, लोकोमोटर नि:शक्तता (दोनों बाह प्रभावित- BA) तथा मानसिक पक्षाघात की श्रेणी के बेंचमार्क नि:शक्तता वाले अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । परीक्षा के कम से कम तीन सप्ताह पहले मेल के माध्यम से examunit@csirhrdg.res.in पर अनुरोध भेजा जा सकता है । अभ्यर्थी अनुरोध संबंधी मेल में अपना आवेदन संख्या, अनुक्रमांक तथा केंद्र का कोड लिखें ।

(iii) अपने ऑन लाइन आवेदन में स्क्राइब हेतु अनुरोध करने वाले अन्य श्रेणी के दिव्यांग जनों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक से इस नियोजन हेतु कि यह व्यक्ति लिखने में असमर्थ है और इसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है , निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र **(परीक्षा में लिखने की असमर्थता संबंधी प्रमाण पत्र)** प्रस्तुत करने पर ही स्क्राइब उपलब्ध कराया जाएगा । इस प्रमाण पत्र (यथा संलग्न) की स्कैन की गई स्वप्रमाणित

प्रति के साथ examunit@csirhrdg.res.in पर परीक्षा से कम से कम तीन सप्ताह पहले मेल के माध्यम से अनुरोध भेजें। अभ्यर्थी अनुरोध संबंधी मेल में अपना आवेदन संख्या, अनुक्रमांक तथा केंद्र कोड भी लिखें। मूल प्रति परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर कोर्डिनेटर/असिस्टेंट कोर्डिनेटर/अन्वीक्षक (इनविजिलेटर) को प्रस्तुत की जाए।

उक्त पैरा (i) तथा (ii) के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित केंद्र के कोर्डिनेटर से पुष्टि होने के बाद परीक्षा से दो दिन पहले स्क्राइब से मिलने की अनुमति दी जाएगी ताकि यह सत्यापित हो सके कि स्क्राइब उपयुक्त है या नहीं। **सीएसआईआर/विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए जाने वाले स्क्राइब की योग्यता इस परीक्षा के न्यूनतम अर्हता मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, स्क्राइब की अर्हता हमेशा 10वीं या इससे ऊपर होनी चाहिए।**

(iv) उक्त पैरा (i) तथा (ii) के अंतर्गत आने वाले ऐसे अभ्यर्थी को अपने खुद के खर्च पर स्वयं का स्क्राइब चुनने का अधिकार है। **अभ्यर्थी द्वारा लाए जाने वाले स्क्राइब की अर्हता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी से एक स्तर कम होनी चाहिए।** स्वयं का स्क्राइब चुनने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी अपने स्वयं के स्क्राइब का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा **(स्वयं का स्क्राइब उपयोग करने के लिए लैटर ऑफ अंडरटेकिंग)** में प्रस्तुत करें। विधिवत पूर्ण लैटर ऑफ अंडरटेकिंग की स्कैन की गई स्वप्रमाणित प्रति के साथ- साथ परीक्षा से कम से कम तीन सप्ताह पहले examunit@csirhrdg.res.in पर मेल करें। अभ्यर्थी इस अनुरोध मेल में अपना आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक तथा केंद्र कोड भी लिखें। इसकी मूल प्रति परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर कोर्डिनेटर/सहायक कोर्डिनेटर/ अन्वीक्षक (इनविजिलेटर) को प्रस्तुत करें।

(v) दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा की तीन घंटे की अवधि के अतिरिक्त 60 मिनट का अनुपूरक समय भी दिया जाएगा।

(vi) सीएसआईआर-एचआरडीजी, परीक्षा एकक को परीक्षा से कम से कम तीन सप्ताह पहले भेजे जाने वाले पूर्वानुरोध पर दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में चुने गए परीक्षा के माध्यम के अनुसार बड़े फोंट में परीक्षा पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी।

12. आनलाइन आवेदन कैसे करें

आनलाइन आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इस सूचना बुलेटिन में निहित विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें । अभ्यर्थी सीएसआईआर–एचआरडीजी की वेबसाइट: www.csirhrdg.res.in पर ही ऑनलाइन आवेदन करें।

विवाहित महिलाओं को छोड़कर अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/माता का नाम अपने दसवीं के प्रमाण पत्र (दसवीं कक्षा बोर्ड) के अनुसार लिखें और सुनिश्चित करें कि ये आपके शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाणपत्रों एवं जाति प्रमाण पत्र से मिलते हों । विवाहित महिलाओं को साक्ष्य के रूप में अन्य दस्तावेजों के साथ–साथ अपने विवाह संबंधी प्रमाण पत्रों की स्कैन की गई प्रति को मेल के माध्यम से सीएसआईआर–एचआरडीजी द्वारा कभी भी मांगे जाने पर examunit@csirhrdg.res.in पर भेजना आवश्यक है। सभी जाति/दिव्यांग प्रमाण पत्र पूर्णत: भारत सरकार के अनुदेशानुसार होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के प्रमाण पत्रों (नान क्रीमी लेयर) की वैधता भारत सरकार के अनुदेशानुसार होगी।

12.1 विकल्प (जेआरएफ या एलएस)

अभ्यर्थी **'जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ)'** अथवा **'लेक्चरशिप(एलएस)'** के लिए आवेदन कर सकता है। वह ऑनलाइन आवेदन में अपनी प्राथमिकता, जो भी हो, इंगित कर सकता/सकती है। यदि अभ्यर्थी **जेआरएफ** के लिए आवेदन करता है, और लेक्चरशिप हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड को भी पूरा करता है तो इस तरह के अभ्यर्थी पर जेआरएफ तथा लेक्चरशिप दोनों हेतु विचार किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन फार्म में दिया गया विकल्प/वरीयता अंतिम होगी तथा बाद में किसी स्थिति परिवर्तन हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, उपलब्ध फेलोशिपों की संख्या तथा परीक्षा में प्रदर्शन पर निर्भर होगी, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करते हों। यदि अभ्यर्थी की आयु जेआरएफ(नेट) हेतु अधिक पायी जाती है तो वह स्वत: ही केवल लेक्चरशिप हेतु विचारणीय है। **ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता एम.एससी. या एम.एससी. परिणाम प्रतीक्षित (आरए) है, लेक्चरशिप हेतु पात्र होंगें बशर्ते वे यूजीसी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करते हों।**

उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म के 'डाक पता' कॉलम (कॉलम ग) में दिए गए पतो पर भेजा जाएगा। अत: डाक पते में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में, examunit@csirhrdg.res.in पर ई मेल कर सीएसआईआर-एचआरडीजी, परीक्षा एकक के ध्यान में लाएं।

12.2 संपादन (एडिट) हेतु पूर्वावलोकन (प्रीव्यू)

ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद, पृष्ठ के नीचे दो विकल्प **''सेव एंड प्रीव्यू''** तथा **''रीसेट''** दिखाई देंगे। यदि आप **''रीसेट''** विकल्प चुनते हैं, तो आपके द्वारा भरी गई सारी सूचना मिट जाएगी और आपको नए सिरे से यह फार्म भरना होगा। यदि आप **''सेव एंड प्रीव्यू''** चुनते है तो **''एडिट एप्लीकेशन''** तथा **''फाइनल सब्मिट एंड प्रोसीड फॉर फी पेमेंट''** दो विकल्प दिखाई देंगे। यहां आप अपने द्वारा आवेदन में भरी हुई सूचना को देख सकते है और यदि आपको इसमें कोई त्रुटि दिखाई देती है तो आप **''एडिट एप्लीकेशन''** विकल्प का चयन करे और संपादित (एडिट) कर अपने द्वारा भरी गई सूचना को सही करें। अतेव, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद इसमें दिए गए विवरणों में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को स्वय द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन फार्म में आवश्यक सभी विवरणों को भरने के बाद, अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान का विकल्प चुनना होगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता सत्यापित करने के बाद अपना परीक्षा शुल्क केवल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करने के लिए पेमेंट गेटवे सुविधा का उपयोग करना आवश्यक है। एक बार शुल्क (फीस) का सफलतापूर्ण भुगतान होने पर **''सफल''** (SUCCESS) के रूप में शुल्क स्थिति (fee status) दिखाई देगी। अभ्यर्थियों को पेमेंट गेटवे सुविधा का उपयोग करने के लिए कोई लेन-देन (ट्रांज़ैक्शन) प्रभार नहीं देना होगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन फार्म ध्यान से भरें। 'अंतिम रूप से प्रस्तुत करने और शुल्क भुगतान हेतु आगे बढ़ने' की कार्यवाही से पहले 'सेव एंड प्रीव्यू' 'एडिट एप्लीकेशन' इत्यादि

जैसे विकल्पों का उपयोग अच्छी तरह करें और गलत/अशुद्ध प्रविष्टियों वाले आवेदन प्रस्तुत न करें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फार्म में दिए गए विवरणों में परिवर्तन हेतु अनुरोध पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा । इसलिए,किसी अशुद्ध प्रविष्टि वाले आवेदन फार्म को सब्मिट कर दिए जाने की स्थितिमें,अभ्यर्थी अलग शुल्क के साथ दूसरा आवेदन भरें।

12.3 ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान है और अभ्यर्थी वे सभी दस्तावेज अपलोड करें जो उन पर लागू हैं:

क) 35 एमएम चौड़ीx 45 एमएम लंबी जेपीईजी/जेपीजी फार्मेट में हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाली **स्कैन की गई हाल की पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ** (अधिकतम 280x360 पिक्सल्स; न्यूनतम 150x180 पिक्सल्स; न्यूनतम 200 डीपीआई; फाइल आकार 150केबीसे अधिक न हो; वैध फाइल नाम ->जिसका केवल एक एक्सटेंशन हो, हाइफन (-) तथा अंडर स्कोर (-) के साथ केवल अल्फा-न्युमेरिकवर्णों की अनुमति है। स्पेस की अनुमति नहीं है; फाइल एक्सटेंशन छोटे अक्षरों में होना चाहिए)।

ख) 35 एमएम चौड़ीx15 एमएम लंबी जेपीईजी/जेपीजी फार्मेट में **स्कैन किए हस्ताक्षर**(अधिकतम 280x120 पिक्सल; न्यूनतम 100x40 पिक्सल; न्यूनतम 200 डीपीआई; फाइल का आकार 150 केबी से कम होना चाहिए; वैध फाइल नाम-> केवल एक एक्सटेंशन होना चाहिए; हाइफन (-) तथा अंडरस्कोर (-) के साथ केवल अल्फा – न्युमेरिक वर्णों की अनुमति है। स्पेस की अनुमति नहीं है, फाइल एक्सटेंशन छोटे अक्षरों में होना चाहिए) हस्ताक्षर बॉक्स में पूरा नाम बड़े अक्षरों में लिखना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ग) परीक्षा देने हेतु आपकी पात्रता की पुष्टि करने के लिए सेमेस्टर का स्पष्टत: उल्लेख करने वाले **अर्हक अंतिम/पिछले अंक पत्र या प्रमाण पत्र** जिन्हें अपने प्राप्तांको के प्रतिशत के साथ जारी रखा है या पास किया है। अभ्यर्थियों को ध्यान देना है कि अपलोड किए गए दस्तावेज में संस्थान/ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्राप्तांको का प्रतिशत या ग्रेड स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए। (पीडीएफ फार्मेट; फाइल का

आकार 400केबीसे कम होना चाहिए; वैध फाइल नाम; केवल एक एक्सटेंशन होना चाहिए।
हाइफन (-) तथा अंडरस्कोर (-) के साथ केवल अल्फा-न्युमेरिक वर्ण अनुमत हैं। स्पेस की अनुमति नहीं है;

घ) अ.जा.(एस.सी.)/अ.ज.जा.(एस.टी.)/अ.पि.व.(ओ.बी.सी.)/गैर समुन्नत वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) / अ.पि.व.(ई.डब्ल्यू.एस) से संबंधित साक्ष्य के रूप में **कैटेगरी प्रमाण पत्र** (पीडीएफ प्रारूप फाइल का आकार 400केबीसे कम होना चाहिए; केवल एक एक्सटेंशन होना चाहिए। हाइफन (-) तथा अंडरस्कोर (-) के साथ केवल अल्फा न्युमेरिक वर्ण की अनुमतिहै । स्पेस की अनुमति नहीं है; आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रोफार्मा में 'आय तथा परिसंपत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त नहीं किया है, एक शपथपत्र (जैसा कि इस सूचना बुलेटिन में परिशिष्ट -VI पर दिया गया है) प्रस्तुत करें कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं और वे उपयुक्त सक्षम प्रधिकारी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में जारी आय तथा परिसंपत्ति प्रमाणपत्र दिनांक 15 जून, 2019 तक प्रस्तुत करेंगे, ऐसा न होने पर मेरे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होने के दावे को रद्द कर दिया जाए।

ङ) **दिव्यांग प्रमाण पत्र** (पीडीएफ फार्मेट; फाइल का आकार 400केबीसे कम होना चाहिए; वैध फाइल नाम; केवल एक एक्सटेंशन होना चाहिए। हाइफन (-) तथा अंडरस्कोर (-) के साथ केवल अल्फा-न्युमेरिक वर्णों की अनुमति है;

च) **परिणाम प्रतीक्षित (रिजल्ट अवेटेड) श्रेणी** के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी/कॉलेज/संस्थान के विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित **साक्ष्यांकन फार्म** अपलोड करें (पीडीएफ फार्मेट; फाइल का आकार 400केबी से कम होना चाहिए; वैध फाइल नाम; केवल एक एक्सटेंशन होना चाहिए। हाइफन (-) तथा अंडरस्कोर (-) के साथ केवल अल्फा-न्युमेरिक वर्णों की अनुमति है; स्पेस की अनुमति नहीं है)।

12.4. **आवेदन संख्या**

ऑनलाइन आवेदन के सफल सब्मिशन के बाद, एक आवेदन संख्या स्वत: सृजित होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में संदर्भ हेतु तथा अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए इस आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी को भविष्य में उपयोग हेतु विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र का एक

प्रिंट(हार्डकापी) भी रखना चाहिए। अभ्यर्थी को भविष्य में संदर्भ हेतु अपने ई-मेल आईडी तथा पासवर्ड लिखने की भी सलाह दी जाती है।

एक अभ्यर्थी केवल एक आवेदन प्रस्तुत करे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है, तो केवल बाद के/अंतिम आवेदन पर विचार किया जाएगा।

भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क न तो बाद की परीक्षा में समायोजित किया जाएगा और न ही वापस किया जाएगा। ई-लेन-देन/तकनीकी समस्याओं के कारण उत्पन्न एक आवेदन संख्या के लिए कई बार किए गए भुगतान के मामले में, अतिरिक्त किए गए भुगतान की वापसी पर विचार किया जाएगा। तथापि, उत्पन्न हुई कई आवेदन संख्याओं के लिए किए गए कई भुगतान को वापस नहीं किया जाएगा।

अंतिम समय में होने वाली असुविधा से बचने के लिए, अभ्यर्थियों को शीघ्र आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन अपने आनलाइन ई-प्रवेश पत्र के प्रिंटआउट के साथ-साथ एक फोटो पहचान पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पीएसयू /केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/ विश्वविद्यालय /कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र लाना आवश्यक है।

13. परिणाम

उक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर दो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिनमें एक सूची जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ-नेट)प्राप्त करने हेतु उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की होगी और दूसरी सूची लेक्चरशिप (एलएस-नेट) हेतु पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की होगी। **जेआरएफ (नेट) हेतु उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी लेक्चरशिप (नेट) के लिए भी पात्र होंगे बशर्ते वे यूजीसी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। लेक्चरशिप हेतु उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवक्ताओं (लेक्चरर) की भर्ती और किसी योजना/परियोजना में जूनियर रिसर्च फेलोशिप हेतु उपयुक्त होने पर विचार किए जाने**

के पात्र होंगे। तथापि, नियमित जेआरएफ–नेट फेलोशिप के लिए पात्र नहीं होंगे। जेआरएफ (नेट) के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को फेलोशिप उनके कार्य के अनुसार सीएसआईआर या यूजीसी से या उन योजनाओं से मिलेगी जिनके साथ वे संबद्ध होंगे। यूजीसी स्कीम और लेक्चरशिप के तहत जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्र घोषित अभ्यर्थी इस संबंध में यूजीसी के नियमों/विनियमों द्वारा शासित होंगे।

13.1 परीक्षा आयोजित होने के एक माह के भीतर सभी विषयों की उत्तर कुंजी सीएसआईआर–एचआरडीजी की वेबसाइट www.csirhrdg.res.in पर प्रदर्शित की जाएगी (सही तारीखें अभ्यावेदन भेजने संबंधी अनुदेशों तथा फार्मेट के साथ–साथ बाद में वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी)। अभ्यावेदनों /प्रेक्षणों पर सीएसआईआर का निर्णय अंतिम होगा और अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा।

13.2 इस एकल बहु विकल्पीय प्रश्न परीक्षा का अंतिम परिणाम माह **सितंबर/अक्टूबर, 2019** में घोषित किया जा सकता है और सफल अभ्यर्थियों हेतु फेलोशिप सीएसआईआर स्कीम के तहत फेलोशिप ग्रहण करने की **2 वर्षों की वैधता अवधि के साथ 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होगी।**

14. <u>महत्वपूर्ण बिन्दु</u>

(i) **अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन अपने ऑनलाइन ई–प्रवेश पत्र के प्रिंटआउट के साथ–साथ एक फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड /पीएसयू/केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र/विश्वविद्यालय /कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र साथ लाना आवश्यक है।**

(ii) इस परीक्षा के लिए आवेदन करते समय कृपया सुनिश्चित करें कि आप पात्रता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हैं और इस परीक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

(iii) अभ्यर्थी अपने पंजीकरण की स्थिति दिनांक 15.05.2019 से हमारी वेबसाइट पर चैक कर सकते हैं। हालांकि यह दिनांक अनंतिम है।

(iv) **पंजीकृत अभ्यर्थियों को ई–प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा हमारी वेबसाइट <u>www.csirhrdg.res.in</u> पर उपलब्ध कराई जाएगी। ई–प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा**

जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कोई डुप्लिकेट ई-प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। *अभ्यर्थियों की ओर से किसी भी विलंब के लिए सीएसआईआर उत्तरदायी नहीं होगा।*

(v) इस परीक्षा हेतु परीक्षा पुस्तिका हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित होगी। आवेदन फार्म में हिंदी माध्यम चुनने वाले अभ्यर्थी को द्विभाषी परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी और अंग्रेजी माध्यम चुनने वाले अभ्यर्थी को केवल अंग्रेजी में मुद्रित परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन फार्म मे चुने गए माध्यम के विकल्प के अनुसार उत्तर देना आवश्यक है।

(vi) प्रत्येक भाग और खंड में पूछे तथा हल किए जाने वाले प्रश्नों की वास्तविक संख्या विषयवार भिन्न हो सकती है ।

(vii) एक अभ्यर्थी केवल एक बार आवेदन करे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करता है तो केवल बाद के/अंतिम आवेदन पर विचार किया जाएगा।

(viii) अभ्यर्थी को आवेदन फार्म भरने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए। अभ्यर्थी की ओर से किसी त्रुटि के मामले में अभ्यर्थी ही जिम्मेदार होगा।

(ix) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने के 3 घंटे की समाप्ति से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

(x) अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्त होने के बाद अपनी परीक्षा पुस्तिका तथा साथ ही ओएमआर शीट की कार्बन रहित डुप्लिकेट प्रति अपने संदर्भ/रिकार्ड हेतु अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(xi) अभ्यर्थियों को ओएमआर उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वितरित की जाएंगी जबकि परीक्षा पुस्तिका परीक्षा के निर्धारित समय से 5 मिनट पहले वितरित की जाएंगी ताकि अभ्यर्थी अनुदेशों को पढ़कर अपेक्षित विवरणों को ठीक से भर सकें।

(xii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई.डब्ल्यू.एस) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगा।

15. <u>अन्य सामान्य सूचना</u>

(i) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस सूचना बुलेटिन तथा हमारी आगामी अधिसूचना (अधिसूचनाओं) साथ ही इस परीक्षा हेतु हमारी वेबसाइट पर दी गई/अपलोड की गई निबंधन एवं

शर्तों को ध्यानपूर्वक देखें। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु अपनी पात्रता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हों।

(ii) अभ्यर्थी सीएसआईआर और यूजीसी की संबंधित वेबसाइटों पर सीएसआईआर/यूजीसी रिसर्च फेलोशिप्स/लेक्चरशिप की निबंधन एवं शर्तों को अवश्य पढ़ें।

(iii) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सीएसआईआर द्वारा आवेदन की हार्ड कॉपियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

(iv) आवेदन फार्म सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए।

(v) इस परीक्षा के केंद्र तथा तिथि में सीएसआईआर के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। सीएसआईआर द्वारा अभ्यर्थियों को कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(vi) परीक्षा केंद्र पर ई-प्रवेश पत्र न लाने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को ई-प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि सीएसआईआर ने उसकी अभ्यर्थिता अंतिम रूप से स्वीकार कर ली है। ई-प्रवेश पत्र पर दिया गया अभ्यर्थी का विवरण/फोटो तथा उसके हस्ताक्षर परीक्षा में उपस्थित होने वाले वास्तविक अभ्यर्थी से मिलने चाहिए अन्यथा उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

(vii) अभ्यर्थी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता उनकी ज्वाइनिंग तक पूर्णतः अनंतिम है।

(viii) कृपया ध्यान दें कि अंतिम तारीख के बाद किसी मामले हेतु पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ix) अभ्यर्थी की पात्रता या परीक्षा में प्रवेश या तदुपरांत परीक्षा में उसके उत्तीर्ण होने संबंधी सभी मामलों में सीएसआईआर का निर्णय अंतिम होगा।

(x) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी प्रकार से सहायता प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास से वह परीक्षा में प्रवेश हेतु अयोग्य हो सकता है।

(xi) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए छद्मरूप धारण करने, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने, अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने, जिनके साथ छेड़-छाड़ की गई हो, गलत या झूठे बयान देने अथवा तथ्य छिपाने अथवा दबाने या अन्यथा किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने अथवा अनुचित साधनों का उपयोग करने का प्रयास करने अथवा ओएमआर उत्तर पुस्तिका/परीक्षा पुस्तिका को गैर-प्राधिकृत रूप से लेकर भाग जाने या परीक्षा

कक्ष में दुर्व्यवहार करने का दोषी पाया जाता है तो उसे आपराधिक अभियोग हेतु जिम्मेवार ठहराने के साथ-साथ सीएसआईआर द्वारा उसे इस परीक्षा से और आगामी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।

(xii) नेट परीक्षा से संबंधित सभी विवादों का **न्यायधिकार क्षेत्र केवल दिल्ली** होगा।

(xiii) इसे पुस्तिका में मुद्रण से संबंधित किसी त्रुटि के लिए सीएसआईआर जिम्मेवार नहीं होगा।

(xiv) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट भावी संदर्भ हेतु रखें।

(xv) अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन ऑनलाइन ई-प्रवेश पत्र के अपने प्रिंट आउट के साथ एक फोटो पहचान पत्र भी लाना आवश्यक है। **सीएसआईआर द्वारा जारी ई-प्रवेश पत्र न लाने वाले** किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

परिशिष्ट

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) प्रमाणपत्र का फार्म

भारत सरकार के अंतर्गत केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों में पदों की नियुक्ति/प्रवेश हेतु आवेदन कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .....सुपुत्र/सुपुत्री, श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम/कस्बा..... जिला/संभाग.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....के.....समुदाय से संबंधित हैं जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है:–

(i) दिनांक 13/09/93 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग–I, खण्ड I सं. 186 में प्रकाशित दिनांक 10/09/93 की संकल्प सं. 12011/68/93–बीसीसी(सी)

(ii) दिनांक 20/10/94 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग– I, खण्ड I सं. 163 में प्रकाशित दिनांक 19/10/94 की संकल्प सं. 12011/9/94–बीसीसी

(iii) दिनांक 25/05/95 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग– I, खण्ड I सं. 88 में प्रकाशित दिनांक 24/05/95 की संकल्प सं. 12011/7/95–बीसीसी

(iv) दिनांक 09/03/96 की संकल्प सं. 12011/96/94–बीसीसी

(v) दिनांक 11/12/96 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग– I, खण्ड I सं. 210 में प्रकाशित दिनांक 06/12/96 की संकल्प सं. 12011/44/96–बीसीसी

(vi) दिनांक 03/12/97 की संकल्प सं. 12011/13/97–बीसीसी

(vii) दिनांक 11/12/97 की संकल्प सं. 12011/99/94–बीसीसी

(viii) दिनांक 27/10/99 की संकल्प सं. 12011/68/98–बीसीसी

(ix) दिनांक 06/12/99 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग– I, खण्ड I सं. 270 में प्रकाशित दिनांक 06/12/99 की संकल्प सं. 12011/88/98–बीसीसी

(x) दिनांक 04/04/2000 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग– I, खण्ड I सं. 71 में प्रकाशित दिनांक 04/04/2000 की संकल्प सं. 12011/36/99–बीसीसी

(xi) दिनांक 21/09/2000 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग– I, खण्ड I सं. 210 में प्रकाशित दिनांक 21/09/2000 की संकल्प सं. 12011/44/99–बीसीसी

(xii) दिनांक 06/09/2001 की संकल्प सं. 12015/9/2000–बीसीसी

(xiii) दिनांक 19/06/2003 की संकल्प सं. 12011/1/2001–बीसीसी

(xiv) दिनांक 13/01/2004 की संकल्प सं. 12011/4/2002–बीसीसी

(xv) दिनांक 16/01/2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग– I, खण्ड I सं. 210 में प्रकाशित दिनांक 16/01/2006 की संकल्प सं. 12011/9/2004–बीसीसी

(xvi) दिनांक 12/03/2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग– I, खण्ड I सं. 67 में प्रकाशित दिनांक 12/03/2007 की संकल्प सं. 12011/14/2004–बीसीसी

(xvii) दिनांक 18/08/2010 की संकल्प सं. 12015/2/2007–बीसीसी

(xviii) दिनांक 8/12/2011 की संकल्प सं. 12015/13/2010–बीसीसी

श्री/श्रीमती/कु.....और/अथवा.....उनका परिवार सामान्यतः .....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के .....जिला/डिवीजन में रहते/रहती हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/93 के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-ईस्ट. (एससीटी), जो कि दिनांक 09.03.2004 के का.ज्ञा. सं. 36033/3/2004 ईस्ट.(रेस.) द्वारा आशोधित किया गया है, इसके अतिरिक्त बाद में दिनांक 14/10/2008 के का.ज्ञा. सं. 36033/3/2004 ईस्ट. (रेस.) द्वारा इसे आशोधित किया गया, पुनः दिनांक 30/05/2014 के का.ज्ञा. सं. 36036/2/2013-ईस्ट (रेस.) द्वारा अथवा भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना, की अनुसूची के कॉलम सं. 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/खण्डों क्रीमी लेयर (समुन्नत वर्ग) में नहीं आते।

दिनांकः.....

जिला मिजस्ट्रेट/उपायुक्त/
कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी

मुहरः

नोट

(क) यहाँ प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः रहते हैं' का अर्थ वही होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

(ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियों को नीचे इंगित किया गया है:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त(प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और

(iv) क्षेत्र के सब डिवीजनल ऑफीसर जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उनका परिवार सामान्यतः रहता है।

जाति प्रमाणपत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती*/कुमारी*.....

सुपुत्र/सुपुत्री*.....निवासी

ग्राम/कस्बा*.....जिला/संभाग.....

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....की.....जाति/जनजाति से संबंधित है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति*** के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

*संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950

*संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950

*संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

*संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

{अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची(आशोधन आदेश) 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित }

*संविधान (जम्मू और कश्मीर)अनुसूचित जाति आदेश, 1956;

*अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959;

*संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;

*संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;

*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964;

*संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;

*संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968;

*संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;

*संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;

*संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;

*संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990;

*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम,1991;

*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम,1991;

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती*/कुमारी.....के माता/पिता*श्री/श्रीमती.....निवासी/ग्राम/कस्बा*.....जिला/संभाग .....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* .....को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो .....जाति/जनजाति से संबंधित हैं जिसे.....दिनांक.....द्वारा जारी.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती*/कुमारी*.....और /अथवा उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* .....जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....में रहता है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थानः..... राज्य.....

दिनांक..... संघ राज्य क्षेत्र.....

नोटः यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः रहते हैं" का अर्थ वही होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी

{भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.04.1990 के का.ज्ञा. स. 3012/88-ईस्ट. (एससीटी), (एसआरडी III)}

निम्नवत प्राधिकारियों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है:

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
4. क्षेत्र का सब-डिवीजनल ऑफीसर जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

.....

दिव्यांगजनों (पी.डब्लू.डी) हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप

संस्थान/अस्पताल का नाम एवं पता:.....

प्रमाण पत्र सं:.....

दिनांक:.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..... सुपुत्र/सुपुत्री* .....आयु.....वर्ष, पंजीकरण सं.....का गति विषयक दिव्यांगता /प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात/नेत्रहीनता/अल्प दृष्टि/श्रवण दिव्यांगता/अन्य प्रकार की दिव्यांगता का मामला है और उनकी दिव्यांगता का स्तर .....% (.....) से कम नहीं है। उनकी उपर्युक्त दिव्यांगता का विवरण नीचे दिया गया है:

(बड़े अक्षरों में)

.....

.....

.....

नोट:

1. यह स्थिति प्रगामी है /गैर- प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है /सुधार होने की संभावना नहीं है।*
2. .....वर्ष.....माह के पश्चात पुनः निर्धारण की सिफारिश की जाती है/सिफारिश नहीं की जाती है।
3. यह प्रमाण पत्र दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 के अनुसार जारी किया गया है।

*जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षरित/-	हस्ताक्षरित/-	हस्ताक्षरित/-
(चिकित्सक)	(चिकित्सक)	(चिकित्सक)
मुहर	मुहर	मुहर

रोगी के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

प्रतिहस्ताक्षरित
चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल का प्रमुख (मुहर के साथ)

दिव्यांगता दर्शाने वाली नवीनतम प्रमाणित फोटो को यहाँ चिपकायें-

परिशिष्ट–III क

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारिरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती.....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री.....निवासी ग्राम/जिला/राज्य .....,जो कि.....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा –उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जाँच की है और उल्लेख करता/करती हूँ कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमा है जिससे उनकी लेखन क्षमतायें प्रभावित होतीं हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम एवं पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थानः.....

तारीखः.....

(नोटः) संबधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता– नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता –अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण–पत्र दिया जाना चाहिए।

परिशिष्ट–III (ख)

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन –पत्र

मैं.....(दिव्यांगता का नाम) से पीड़ित हूँ और .....(जिले का नाम) में स्थित .....(केन्द्र का नाम) में अनुक्रमांक .....के साथ परीक्षा.....(परीक्षा का नाम) में सम्मिलित होने जा रहा/रही हूँ। मेरी योग्यता .....है।

मैं सूचित करता/करती हूँ कि.....(प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उनकी शैक्षिक योग्यता.....है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नही है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे सबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थानः.....

तारीखः.....

परिशिष्ट-IV

अनुप्रमाणन प्रपत्र

(केवल 'परिणाम प्रतीक्षित' से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा दी गई जानकारी को विश्वविद्यालय / संस्थान के रिकार्ड के संदर्भ में मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी ने दिनांक (तारीख/माह/वर्ष का उल्लेख करें)...../...../..... को एम.एससी. (यदि एम.एससी. के समकक्ष है तो उपाधि/पाठ्यक्रम का उल्लेख करें).....में प्रवेश लिया है; अथवा 10+2 पूरा करने के बाद उक्त अभ्यर्थी ने तारीख/माह/वर्ष...../...../.....को (उपाधि/पाठ्यक्रम का उल्लेख करें).....में प्रवेश लिया है और वर्तमान में वे (तारीख/माह /वर्ष का उल्लेख करें)...../...../.....से (वर्ष/सेमेस्टर का उल्लेख करें, अर्थात चौथा वर्ष/7वाँ सेमेस्टर)/..... में है और पात्रता मानदण्ड में दिए गए के अनुसार वे परिणाम प्रतीक्षित श्रेणी के अंतर्गत परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

उदाहरणार्थ उपाधियों/पाठ्यक्रमों की सूची:

(i) बीएस-4 वर्षीय कार्यक्रम (ii) बी.ई. (iii) बी.टेक. (iv) बी.फार्मा (v) एमबीबीएस (vi) इंटीग्रेटेड बीएस-एमएस (vii) एम.एससी.

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर/
संस्थान की मुहर

नाम:.....

पदनाम:.....

मुहर:.....

.....सरकार

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों द्वारा दिया जाने वाला आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं ..... दिनांक:.....

वर्ष.....के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि .....श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.....ग्राम/मार्ग.....डाकघर..... .....जिला.....राज्य/संघराज्यक्षेत्र.....पिन कोड.....के स्थाई निवासी, जिनका फोटोग्राफ नीचे प्रमाणित किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते/आती हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष .....के लिए इनके "परिवार"**की कुल वार्षिक आय रु. 8 लाख (रुपये आठ लाख मात्र) से कम है । उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्तियाँ****नहीं हैं/का स्वामित्व नहीं हैं ।

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;

II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग यार्ड्स या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग यार्ड्स या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट ।

2 श्री/श्रीमती/कुमारी.....जाति.....से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं ।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....

अभ्यर्थी की नवीनतम पासपोर्ट साइज़ प्रमाणित फोटोग्राफ

*नोट 1: आय में सभी स्रोत अर्थात वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि शामिल हैं ।

**नोट 2: इस प्रयोजन हेतु शब्द "परिवार" में आरक्षण का लाभ माँगने वाले व्यक्ति, उसके माता-पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और उसके पति या पत्नी व 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं ।

***नोट 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) निर्धारित करने के लिए भूमि अथवा सम्पत्ति धारण जाँच करते समय "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न स्थलों/शहरों में धारित सम्पत्ति जोड़ी गई है ।

परिशिष्ट-VI

जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और लेक्चरशिप (एलएस) पात्रता हेतु 16जून, 2019 को आयोजित होने वाली संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा में प्रस्तुत करने हेतु शपथपत्रका प्रारूप

(नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित रु. 10/- के न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर)

मैं,श्री/श्रीमती/कुमारी.....(अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.....(पिता/पति का नाम), निवास..... (स्थाई पता), एतद्वारा सत्यनिष्ठा के साथ अभिपुष्टि एवं घोषणा करता/करती हूँ

1. कि मैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.01.2019 के का.ज्ञा.सं 36039/1/2019-ईस्ट.(रेस.) के अंतर्गत परिभाषित किए गए के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ई.डब्लू.एस) में आता/आती हूँ;
2. कि मेरे परिवार की कुल वार्षिक आय रु. 8,00,000/-(रुपये आठ लाख मात्र) से कम है;
3. कि मेरे परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं/का स्वामित्व नहीं है:

   (i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि; (ii) 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट; (iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग याड्र्स या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;(iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग याड्र्स या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट
4. कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होने के प्रमाण के रूप में उपयुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निर्धारित आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 15 जून, 2019 तक सीएसआईआर –एचआरडीजी (परीक्षा एकक) को प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध हूँ, जिसमें विफल होने पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेरे दावे को रद्द किया जा सकता है।

अभिसाक्षी

सत्यापनः

दिनांक.....दिन.....वर्ष.....को सत्यापित किया जाता है कि उपर्युक्त शपथ पत्र (एफिडेविट) की विषयवस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है और इससे कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

नोटः

(i) गलत शपथपत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत करना अपराध है। यदि किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि गलत शपथ पत्र (एफिडेविट) प्रस्तुत किया गया है तो 16 जून, 2019 को आयोजित होने वाले जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और लेक्चरशिप (एलएस) पात्रता हेतु सीएसआईआर-यूजीसी नेट के लिए अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरशिप पात्रता (नेट) हेतु संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी परीक्षा-जून, 2019

परीक्षा केन्द्र बदलने के लिए अनुरोध

आवेदन पत्र सं. .....

अभ्यर्थी का नाम.....

विषय.....

परीक्षा केन्द्र बदलने का अनुरोध

.....से.....

दिनाक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

ऑनलाइन आवेदन पत्र के कॉलम क्रम से
फॉर्म आसानी से भरने में अभ्यर्थियों की सहायता करने हेतु

कॉलम	हैडर/शीर्षक	अभ्यर्थी द्वारा भरा जाये
क)	**जेआरएफ/एलएस विकल्प विवरण:**	
क1	आवेदन (अप्लाइड फॉर)	जब आप ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो दो विकल्प सामने आयेंगे –जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) अथवा लेक्चरशिप (एलएस)। किसी एक का चयन करें। आपके आवेदन प्रपत्र में आपके द्वारा दिया गया विकल्प/प्राथमिकता अंतिम (फाइनल) मानी जाएगी और बाद में किसी भी स्तर पर परिवर्तन हेतु किए जाने वाले अनुरोध पर विचार **नहीं** किया जाएगा।
क2	विषय	ड्रॉप डाउन बॉक्स से एक विषय का चयन करें।
क3	विशेषज्ञता का नाम	ड्रॉप डाउन बॉक्स से अपनी विशेषज्ञता के नाम का चयन करें।
क4	परीक्षा केन्द्र	ड्रॉप डाउन बॉक्स से अपनी पसंद के परीक्षा केन्द्र का चयन करें।
क5	परीक्षा का माध्यम	ड्रॉप डाउन बॉक्स से या तो अंग्रेजी या हिन्दी का चयन करें।
(ख)	**व्यक्तिगत विवरण:**	
ख1	अभ्यर्थी का नाम	दसवीं के प्रमाण पत्र में उल्लिखितानुसार अपना नाम दर्ज करें।
ख2	ई-मेल	अपना ई-मेल आईडी दर्ज करें।
ख3	मोबाइल नम्बर	अपना मोबाइल नम्बर दर्ज करें।
ख4	लैण्डलाइन टेलिफोन नम्बर	यह ऐच्छिक है, आप इसे भरें अथवा न भरें।
ख5	लिंग	अपने लिंग का उल्लेख करें
ख6	पिता का नाम	अपने दसवीं के प्रमाण पत्र के अनुसार अपने पिता का नाम दर्ज करें।
ख7	माता का नाम	अपने दसवीं के प्रमाण पत्र के अनुसार अपनी माता का नाम दर्ज करें।
ख8	पति का नाम	ऐच्छिक। यह कॉलम केवल विवाहित महिला अभ्यार्थियों के लिए लागू है। (अपने विवाह के प्रमाण पत्र में उल्लिखितानुसार अपने पति का नाम दर्ज करें।)
ख9	जन्म तिथि	अपने दसवीं के प्रमाण में अंकितानुसार अपनी जन्म तिथि दर्ज करें।
	01.01.2019 को आयु	यह कॉलम स्वतः जनित(ऑटो जेनेरेटेड) है।
ख10	श्रेणी	दिए गए विकल्पों मे से अपनी श्रेणी का चयन करें।
	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) अभ्यर्थी, जिनकी जाति केन्द्रीय सूची (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट **www.ncbc.nic.in** पर उपलब्ध कराए गए के अनुसार) में सूचीबद्ध नहीं है और जो ओ.बी.सी.-समुन्नत वर्ग (क्रीमी लेयर) में आते हैं, को सभी प्रयोजनों हेतु सामान्य श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। **तदनुसार ऐसे ओ.बी.सी. अभ्यर्थी अपनी श्रेणी "सामान्य" के रूप में इंगित करें।**	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस.) में आने वाले अभ्यर्थियों, जिन्होंने निर्धारित प्रोफार्मा में उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी से 'आय और परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र' अभी तक नहीं लिया है, वे एक शपथ पत्र (ऐफिडेविट) (इस सूचना बुलेटिन के परिशिष्ट-VI में दिए गए के अनुसार) प्रस्तुत करें कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं और **15 जून, 2019** तक निर्धारित प्रोफार्मा में उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आय और परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। ऐसा करने में विफल होने पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होने का उनका दावा रद्द कर दिया जाएगा।	
ख11	दिव्यांग व्यक्ति (पी.डब्लू.डी)	यदि आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो अपनी दिव्यांगता, जिससे आप पीड़ित हैं, के प्रकार का चयन करें। अन्य अभ्यर्थी 'लागू नहीं' का चयन करें।

ख12	यदि आप दिव्यांग हैं तो क्या आपको लेखक (स्क्राइब) की आवश्यकता है	स्वयं पर लागू होने वाले किसी एक विकल्प का चयन करें। पैरा 11 में दिए गए अनुदेशों को कृपया ध्यान से पढ़ें और अनुसरण करें
(ग)	**नाम और पूरा डाक पता:** नाम पता शहर पिन राज्य	अपना नाम और अपना पूरा पता दर्ज करें। कृपया ध्यान रखें कि यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं **तो इसी डाक पते पर आपका प्रमाण पत्र भेजा** जाएगा। अतः जब कभी भी आपके डाक पते में कोई बदलाव हो तो उसे examunit@csirhrdg.res.in पर ई-मेल के माध्यम से सीएसआईआर-एचआरडीजी, परीक्षा एकक के संज्ञान में लायें।
(घ)	**स्थाई पता:**	यदि आपका डाक पता और स्थाई पता एक है तो आप "सेम ऐज मेलिंग ऐड्रेस" बॉक्स पर क्लिक करें। यदि ऐसा नहीं है तो सही पिन कोड के साथ स्थाई पता दर्ज करें।
(ङ.)	**अर्हक डिग्री का विवरण:**	ध्यान रखें कि यदि आप केवल स्नातक (बैचलर) डिग्री रखते हैं तो आप केवल जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे लेक्चरशिप हेतु नहीं।
		आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा होने के अंतिम दिन (क्लोज़िंग डेट) तक यदि आपने एम.एससी. में प्रवेश ले लिया है अथवा अर्हक परीक्षा के 10+2+3 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो आप परिणाम प्रतीक्षित (आरए) श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और आपको उस विभाग/संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रधान द्वारा विधिवत प्रमाणित अनुप्रमाणन प्रस्तुत करना होगा जहाँ आप ने एम.एससी. में प्रवेश लिया है अथवा जहाँ से आप 10+2+3 की परीक्षा दे चुके हैं।
	स्नातक डिग्री का विवरण 1. उत्तीर्ण करने का माह एवं वर्ष	उत्तीर्ण करने का माह और वर्ष दर्ज करें (अर्थात 05-2015)
	2. प्राप्तांक	आपके संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार कुल आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्ज करें। (जहाँ कहीं भी आवश्यक हो अपने संस्थान/विश्वविद्यालय के कंवर्ज़न फार्मूले का प्रयोग करें)
	3. अधिकतम अंक	आपके संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार कुल अधिकतम अंकों को दर्ज करें (जहाँ कहीं भी आवश्यक हो अपने संस्थान/विश्वविद्यालय के कंवर्ज़न फार्मूले का प्रयोग करें)
	अर्हक डिग्री का विवरण 1. प्रवेश प्राप्त करने का माह और वर्ष	प्रवेश प्राप्त करने का माह और वर्ष दर्ज करें।
	2. अवधि (वर्ष में)	पाठ्यक्रम की अवधि दर्ज करें
	3. विश्वविद्यालय/संस्थान	अपने संस्थान/विश्वविद्यालय का पूरा नाम दर्ज करें
	4. क्या परिणाम प्रतीक्षित (आरए) है	यदि आपने परिणाम प्रतीक्षित के रूप में आवेदन किया है तो आप अपने पिछले सेमेस्टर के अंक पत्र (मार्कशीट) को अपलोड करें, यदि अंतिम सेमेस्टर का अंक पत्र (मार्कशीट) उपलब्ध न हो तो
	अर्हक डिग्री के पूरा होने से संबंधित विवरण: 1. उत्तीर्ण होने का माह एवं वर्ष	उत्तीर्ण होने का माह एवं वर्ष दर्ज करें
	2. श्रेणी	श्रेणी का उल्लेख करें (या तो 1,2,3 अंकों में या A,B,C अक्षरों में) जिसमें आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है।

	3. प्राप्तांक	आपके संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंको को दर्ज करें (जहाँ कहीं भी आवश्यक हो अपने संस्थान/विश्वविद्यालय के कंवर्ज़न फार्मूले का प्रयोग करें)
	4. अधिकतम अंक	आपके संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार अधिकतम अंको को दर्ज करें (जहाँ कहीं भी आवश्यक हो अपने संस्थान/विश्वविद्यालय के कंवर्ज़न फार्मूले का प्रयोग करें))
च)	**दस्तावेज़ अपलोड करें**	कृपया सुनिश्चित करें कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज निर्दिष्ट माप और आकार के भीतर हों। अन्यथा, सिस्टम आपके अपलोड को स्वीकार नहीं करेगा
	क) स्कैन की गई नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो	कृपया सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए दस्तावेज उचित स्थान पर अपलोड हों और कृपया अन्य दस्तावेज अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान पर उन्हें अपलोड न करें। उदाहरण के लिए पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड न करें और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिए गए स्थान पर पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ अपलोड न करें।
	ख) स्कैन किए गए हस्ताक्षर	हस्ताक्षर किए जाने वाले बॉक्स में बड़े अक्षरों में लिखा गया पूरा नाम स्वीकार नहींकिया जाएगा।
	ग) अंतिम/पिछला अर्हक अंक पत्र (मार्क शीट)	यदि आपने अर्हक डिग्री पूरी कर ली है तो अपने अंतिम वर्ष /अंतिम सेमेस्टर का समेकित अंक पत्र (मार्क शीट) अपलोड करें। यदि आप अभी भी अपने पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं तो पिछले सेमेस्टर/वर्ष, जिसमें आप उपस्थित हुए, का अंक पत्र (मार्क शीट) अपलोड करें।
	घ) श्रेणी प्रमाण पत्र	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र (अथवा ऐफिडेविट) अपलोड करें, यदि लागू हो। जाति प्रमाण पत्र निर्धारित फार्मेट (कृपया सूचना बुलेटिन देखें) में होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी कृपया उपर्युक्त कॉलम स10 में उल्लिखित शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
	ङ.) दिव्यांगता प्रमाण पत्र	दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करें, यदि लागू हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित फार्मेट में होना चाहिए (कृपया सूचना बुलेटिन देखें)
	च) अनुप्रमाणन प्रपत्र	यदि आप परिणाम प्रतीक्षित अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान के विभागाध्यक्ष (एचओडी) द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया अनुप्रमाणन प्रपत्र अपलोड करें।(कृपया सूचना बुलेटिन देखें।)
छ)	**शुल्क विवरण:**	
	1. धनराशि अंको में (रु.)	यह कॉलम ऑटो जेनरेटेड(स्वतः जनित) होगा
	2. धनराशि शब्दों में	यह कॉलम ऑटो जेनरेटेड (स्वतः जनित) होगा
	3. शुल्क स्थिति (फी स्टेटस)	आपके शुल्क का ट्रांजैक्शन सफल होने के बाद, स्टेटस, 'सफल' ('सक्सेस') प्रदर्शित करेगा।
	4.रेफरैन्स नम्बर	यह कॉलम ऑटो जेनरेटेड (स्वतः जनित) होगा
	5.भुगतान	यह कॉलम ऑटो जेनरेटेड (स्वतः जनित) होगा
ज)	**घोषणा:**	घोषणा को ध्यान से पढ़ें।
	महत्वपूर्ण: ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद, पेज के नीचे के हिस्से में दो विकल्प आयेंगे **"सेव एण्ड प्रिव्यू"** और **"रीसेट"**। यदि आप **"रीसेट"** का चयन करते हैं तो आपके द्वारा भरी गई सम्पूर्ण सूचना मिट जाएगी और आपको आवेदन पत्र नये सिरे से भरना होगा । यदि आप **"सेव एण्ड प्रिव्यू"** का चयन करते हैं तो दो विकल्प **"एडिट**	

	ऐप्लीकेशन" और **"फाइनल सब्मिट एण्ड प्रोसीड फॉर फी पेमेंट"** आयेंगे। यहाँ आप आवेदन पत्र में भरी हुई सूचना को देख सकते हैं और यदि आप अपने द्वारा भरी गई सूचना में कोई त्रुटि देखते हैं तो आप **"एडिट ऐप्लीकेशन"** के विकल्प का चयन करें और अपने द्वारा भरी गई गलत प्रविष्टि को बदले एवं सही करें। अतः यह एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। आपके द्वारा **"फाइनल सब्मिट एण्ड प्रोसीड फॉर फी पेमेंट"** का चयन कर लेने के बाद आवेदन पत्र में दर्ज किए गए विवरण में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। एक बार जब आप **"फाइनल सब्मिट एण्ड प्रोसीड फॉर फी पेमेंट"** का चयन करते हैं तो आपका आवेदन पत्र सेव हो जाएगा और **"प्रोसीड फॉर फी पेमेंट"** का विकल्प सामने आयेगा। यदि आप शुल्क का भुगतान बाद में करना चाहते हैं तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। जब आप अगली बार अपने पंजीकृत प्रत्यय –पत्र (रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल्स) के साथ दोबारा लॉग–इन करेंगे हैं तो शुल्क के भुगतान के लिए आप इसी पेज पर आयेंगे। जब आप अपने शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो फी स्टेट्स में **"सक्सेस"** दिखाई देगा। **<u>सावधानी:</u>** अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें। 'फाइनल सब्मिट एण्ड प्रोसीड फॉर फी पेमेंट' पर पहुँचने से पहले 'सेव एण्ड प्रिव्यू' 'एडिट ऐप्लीकेशन' आदि जैसे विकल्पों का उपयोग करें और गलत/त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के साथ आवेदन पत्र को जमा करने से बचें। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए ब्यौरों में बदलाव/सुधार हेतु अनुरोध पर किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः किसी भी गलत प्रविष्टि के साथ आवेदन पत्र जमा करने की स्थिति में, अभ्यर्थी को अलग शुल्क के साथ एक और आवेदन पत्र भरना होगा।